

आवेदन पत्र – सेवानिवृत्ति उपरांत पास / APPLICATION – POST RETIREMENT PASS

मैं रेल पास विनियमों एवं शर्तों के अध्याधीन एतदद्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत उन रेलों की क्षतिपूर्ति हेतु रेल पास के लिए आवेदन करता हूँ जिनकी लाइनों मार्गों पर उन पासों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों द्वारा अथवा उनके ओर से किए गए किसी दावे के लिए मैं पास उपलब्ध होंगे / I hereby apply for post-retirement pass subject to the Railway's regulations and conditions relating to the passes for indemnify the Railway's over whose lines the same is available against any claims made upon them by or on behalf of any person using such passes.

1. सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम / Name of Retired Official
2. पिता / पति का नाम / Father's/Husband's name
3. पदनाम सेवानिवृत्त के समय / Designation (On retirement).....
4. अंतिम मूल वेतन एवं वेतनमान / Last Basic Pay & Scale
5. वेतनमान में नियुक्ति तारीख / Officiating date in the grade.....
6. रेल सेवा में नियुक्ति की तारीख / Date of appointment in Railway Service.....
7. नियमानुसार अनुमेय पासों के सेटों की संख्या / No. of sets of passes permissible as per rule
8. पास का अनुमेय श्रेणी.....तथा चालू वर्ष के दौरान अभी तक लिए गए पासों की संख्या.....
Class of pass permissible.....Pass (s) so far taken during current year.....
9. निवास का पता एवं दूरभाष संख्या / Residential address & Telephone Number.....
.....
.....
10. पार्टी जिसके लिए पास अपेक्षित है (आयु सहित) /
Party for whom pass is required (with age).....
11. पास /Pass.....स्टेशन से / From Station.....स्टेशन तक /To Station
यात्रा विराम / Break Journey.....
वापसी / Return.....स्टेशन से / From Station.....स्टेशन तक /To Station
यात्रा विराम / Break Journey.....

.....
(सेवानिवृत्त अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक

12. यदि पिता जीवित नहीं है तो कृपया निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें / In case where father is not alive please furnish the certificate

प्रमाण पत्र / Certificate: समय समय पर संशोधित रेल सेवक पास नियम , 1986 में यथावर्णित रेल कर्मचारी के आश्रित संबंधियों को उस रेल कर्मचारी पर केवल तभी पूरी तरह से आश्रित माना जाएगा जब उसे पेंशन राहत सहित सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय, जिसमें पेंशन/परिवार पेंशन से संबद्ध महंगाई राहत/भत्ते में हुई वृद्धि भी शामिल है, समय समय पर निर्धारित राशि अथवा रेल कर्मचारी के वेतन के 15 प्रतिशत, जो भी अधिक नहीं होगी

/ A dependent relative in relation to a Rly Servant as described in Rly Servants (pass) Rules, 1986, as amended from time to time, shall be deemed to be wholly dependent on the Railway Servant provided his/her income from all sources, including pension relief, shall not exceed the amount prescribed from time to time on the basis of increase in Dearness relief/allowance to pensioner/family pensioner, or 15% of the pay of Railway Servant whichever is more.

(धारक के हस्ताक्षर / Signature of Bearer)

नाम..... पता

(सेवानिवृत्त अधिकारी के हस्ताक्षर / Sig. of Retd. Official)

दिनांक